

भाग-III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं	
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	जी हां।	
16	प्रस्ताव की स्वीकृत या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत		प्रस्ताव क्र. FP/MP/TRANS/151776/2022 में वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा भाग-2 में दी गई अनुशंसा के आधार पर आवेदित संस्था एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1। लि. द्वारा अजयगढ़-पन्ना 132 के.वी. डी.सी.एस.एस. लाईन के निर्माण में प्रभावित वनभूमि रकबा 39.1519 हे० पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत नियमानुसार स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

तिथि :

स्थान छतरपुर

(उत्तम कुमार शर्मा)

मुख्य वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त छतरपुर